

**बिहार सरकार**  
**संसदीय कार्य विभाग**

**॥ अधिसूचना ॥**

अधि०सं०-सं०का०-०१/वि०मं०(महानुभाव)-०८-११/२०२४-...../ पटना, दि०-..... २०२६

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम-३ के आलोक में प्रो० (डा०) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-९३५ दिनांक-२९.१२.२०२५ द्वारा दिनांक १५.१२.२०२५ के प्रभाव से मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम २(ट) तथा नियम ३(ड) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

२. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, २००६ के धारा २(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम १८ से निर्धारित अनुसूची-१ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-२८८ दिनांक २३.०६.२०१४ द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग-अलग प्रावधानित की गयी है।

३. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में प्रो० (डा०) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में श्री जयन्त जायसवाल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-६८९/२०२४ और ८४१/२०२३, गृह जिला-पं० चम्पारण, सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने आप्त सचिव के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा पत्रांक-०२ (का०)/२०२५, दिनांक-१८.१२.२०२५ द्वारा इस स्वघोषणा के साथ दी गयी है कि वे उनके सगे-सम्बन्धी नहीं हैं।

४. उपरोक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने अधिसूचना संख्या-२४११४, दिनांक-२९.१२.२०२५ के द्वारा श्री जयन्त जायसवाल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-६८९/२०२४ सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की सेवा इस विभाग को उपलब्ध करा दिया है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान परिषद सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवाएं इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

५. श्री जयन्त जायसवाल, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

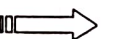
आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(मनीष कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव



ज्ञापांक- सं०का०-०१/वि०मं०(महानुभाव)-०८-११/२०२४-...../ पटना, दि०-..... २०२६  
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०)बिहार, पटना, कोषागार पदाधिकारी,  
सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना, अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त  
विभाग) पटना, सचिव, बिहार विधान परिषद, लेखा-शाखा, बिहार विधान परिषद, प्रो० (डा०)  
राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय उप नेता, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद/श्री जयन्त  
जायसवाल, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- सं०का०-०१/वि०मं०(महानुभाव)-०८-११/२०२४-...../ पटना, दि०-..... २०२६  
प्रतिलिपि-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके पत्रांक-२४११४, दिनांक-  
२९.१२.२०२५ के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- सं०का०-०१/वि०मं०(महानुभाव)-०८-११/२०२४-२३...../ पटना, दि०-०६.०१.२०२६  
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट  
पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।